

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2002—वैशाख 20, शक 1924

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी/1462/1412/उ. शि./2002.—महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, अठारह अप्रैल सन् दो हजार दो को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक डी/1462/1412/उ. शि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/1462/1412/उ. शि./2002, दिनांक 18-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 18th April 2002

NOTIFICATION

No. D/1462/1412/2002/HE.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Maharishi University Management and Technology Adhiniyam, 2002 (No. 10 of 2002), the State Government, hereby, appoints Eighteenth April, Two Thousand Two as the date on which this Adhiniyam shall come into force in the whole State of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. TRIVEDI, Special Secretary.